

मध्य प्रदेश शासन द्वारा गठित कैशलेस मिशन की दिनांक 06.04.2017 को संपन्न प्रथम बैठक का कार्यवृत्त

राज्य में नकद रहित व्यवहारों को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित “कैशलेस मिशन” की प्रथम बैठक का आयोजन दिनांक 6 अप्रैल 2017 को किया गया। बैठक की अध्यक्षता मिशन प्रमुख श्री ए.पी.श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा की गई। बैठक में मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं विभिन्न बैंकों के अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची संलग्न है। श्री अजय व्यास, संयोजक एसएलबीसी/फील्ड महाप्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैठक की कार्यसूची चर्चा के लिये पत्र पर रखी गई। बैठक में विचार विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

1. राज्य में नकद रहित व्यवहारों को बढ़ावा देने हेतु रोडमैप तैयार करने के लिये गठित समिति की अनुशंसाओं पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी सम्बंधित विभागों द्वारा दी गई। जनसम्पर्क विभाग द्वारा बताया गया कि उनके विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म आदि के जरिये से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता हेतु प्रचार – प्रसार किया जा रहा है। यह कार्य निर्बाध रूप से जारी है। जन सम्पर्क विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार अधिकाधिक किया जाये।

कार्यवाही: जनसम्पर्क विभाग

2. राज्य शासन की समस्त शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों से प्राप्त किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के शुल्क नकद राशि के स्थान पर अन्य तरीके से सीधे भुगतान किये जाने के संदर्भ में “संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ संस्थाओं को यथोचित निर्देश” जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा उल्लेख किया गया कि बैंकों द्वारा पीओएस मशीनें उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं और महाविद्यालय स्तर पर कनेक्टिविटी की समस्या भी है।

कार्यवाही: उच्च शिक्षा / स्कूल शिक्षा / तकनीकी शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा / आयुष / संस्कृति विभाग

3. संयोजक, एसएलबीसी द्वारा सुझाव दिया गया कि राज्य सरकार के सभी विभाग ऑनलाइन भुगतान करने का विकल्प अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये ताकि जो व्यक्ति ऑनलाइन भुगतान करना चाहे वे इस सुविधा का लाभ उठा सके। आयुक्त, संस्थागत वित्त द्वारा उल्लेख किया गया कि सभी विभाग अपनी वेबसाइट पर cyber treasury का लिंक भी उपलब्ध कराये, जिससे कि आम नागरिकों द्वारा इसका अधिकतम उपयोग किया जा सके।

कार्यवाही: शासन के संबंधित विभाग

4. मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ द्वारा अपने प्रतिवेदन से यह अवगत कराया है कि प्रदेश में कार्यरत विभिन्न दुग्ध संघ के माध्यम से विक्रय किये जा रहे दुग्ध उत्पादों के भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे हैं।

मिशन प्रमुख द्वारा निर्देश दिये गये कि मिशन की आगामी बैठक में प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ को भी आमंत्रित किया जाये।

कार्यवाही: संचालनालय संस्थागत वित्त/म0प्र0दुग्ध महासंघ

5. अपर मुख्य सचिव, श्रम विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि श्रम अधिनियम में हुए संशोधन के संदर्भ में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को चैक के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है।

कार्यवाही: श्रम विभाग

6. राज्य शासन द्वारा शॉप्स एण्ड [सि]ब्लिशमेंट्स [एक्ट] तहत नवीन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करते समय अथवा नवीनीकरण के समय ऐसे दुकानदारों के लायसेंस नवीनीकरण के आवेदन के साथ पी.ओ.एस. मशीन स्थापित करने का घोषणा - पत्र लिए जाने की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया कि छोटे [दुकानदारों] के लिये यह संभव नहीं होने से [सि] अनुशंसा का क्रियान्वयन संभन नहीं हो सकता है। अतः उक्त अनुशंसा को समाप्त किया जाये।

कार्यवाही: श्रम/नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग

7. समिति की अनुशंसा क्रमांक 'जे' पर मिशन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्य शासन की ओर से [सि] हेतु वित्तीय सहायता का प्रस्ताव तैयार किया जाकर भारत सरकार को प्रेषित किया जाये।

कार्यवाही: संचालनालय कोष एवं लेखा

8. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य शासन द्वारा [न]-की ठेकों में सामग्री क्रय, श्रमिकों एवं Sub-contractor आदि हेतु रू; 2 लाख से अधिक का भुगतान चैक द्वारा करने का प्रावधान पूर्व से है तथा [सि]का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सभी [सि] नार्कों पर पी0ओ0एस0 मशीन से भुगतान की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गई है परन्तु [सि]में काफी ज्यादा समय लगता है। भोपाल-देवास मार्ग पर [सि] से भुगतान की व्यवस्था की जा रही है।

कार्यवाही: लोक निर्माण विभाग

9. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में कार्यरत लगभग सभी मंडियों में कैशलेस भुगतान की व्यवस्था की गई है परन्तु व्यापारियों द्वारा किसान के खाते में राशि अंतरित करने के उपरान्त किसान द्वारा नकदी की कमी के कारण राशि आहरित नहीं की जा सक रही है। बैंक शाखाओं में नकदी की उपलब्धता को ब [सि] अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा पुरानी परमपरा प्रारम्भ हो जायेगी।

कार्यवाही: किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग/भारतीय रिजर्व बैंक

10. मिशन प्रमुख द्वारा संयोजक को भारतीय रिजर्व बैंक से राज्यवार डिजिटल लेनदेन की जानकारी प्राप्त करने हेतु एम्.आई.एस. (मासिक सूचना सिस्टम) विकसित करने एवं डा [सि] उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

कार्यवाही: भारतीय रिजर्व बैंक

11. मिशन प्रमुख द्वारा अगली बैठक में साब्रि अपराध पर डाकू उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया तथा सिसे बचने के उपायों पर भी विस्तृत चर्चा हेतु आगामी बैठक में एजेण्डा प्रस्तुत करने को कहा गया।

कार्यवाही: एस.एल.वी.सी.

12. धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व/संस्कृति विभाग ने अवगत कराया कि ऐसे धार्मिक स्थलों जहाँ काफी मात्र में चण्डा/दान एकत्र होता है और वहाँ पर पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से चण्डा/दान लेने की व्यवस्था की जा चुकी है। मिशन द्वारा विभाग को परामश्र दिया कि वे कुल प्राप्त दान एवं ट्रांजेक्शन की संख्या के आंकड़े समिति की अगली बैठक हेतु संयोजक को उपलब्ध करावे।

कार्यवाही: धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व/संस्कृति विभाग/एसएलबीसी

13. समिति की अनुशंसा क्रमांक 'एस' पर मिशन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह विषय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र का होने से सिसे समाप्त किया जाये।

14. मिशन द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि समिति की जिन अनुशंसाओं का क्रियान्वयन हो चुका है, उन्हें मिशन के समक्ष पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

15. मिशन का मत रहा है कि वालेसे संबंधित सभी एप को निर-ऑपरेबल बनाया जाना चाहिये और सिसे क्यू0आर0 कोड आधारित बनाया जाना चाहिये। सिसे बारे में नीति आयोग, भारत सरकार को भी लेख किया जाना चाहिये।

अंत में श्री अमित राठौर, आयुक्त संस्थागत वित्त द्वारा सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

(कार्यवाही विवरण अपर मुख्य सचिव, वित्त द्वारा अनुमोदित)

दिनांक 6 अप्रैल, 2017 की बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची

क्र.	नाम	पदनाम	विभाग / बैंक का नाम
1.	श्री ए0पी0 श्रीवास्तव,	अपर मुख्य सचिव	—वित्त एवं मिशन प्रमुख
2.	श्री राधेश्याम जुलानिया	अपर मुख्य सचिव	पंचायत एवं ग्रामीण विकास
3.	श्री बी0आर0 नायडू	अपर मुख्य सचिव	श्रम
4.	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव	प्रमुख सचिव	वाणिज्यिक कर
5.	श्रीमती शिखा दुबे	प्रमुख सचिव,	आयुष
6.	श्री आशीष उपाध्याय	प्रमुख सचिव	उच्च शिक्षा
7.	श्री मलय श्रीवास्तव	प्रमुख सचिव	नगरीय विकास एवं पर्यावरण
8.	श्री अजीत केसरी	प्रमुख सचिव	सहकारिता
9.	श्री प्रमोद अग्रवाल	प्रमुख सचिव	लोक निर्माण
10.	श्री अमित राठौर	आयुक्त	संस्थागत वित्त
11.	श्री सुखवीर सिंह	आयुक्त	कोष एवं लेखा
12.	श्री विवेक पोरवाल	आयुक्त	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
13.	श्री राम कुमार चौबे	सचिव	विधि
14.	श्री अजय गुप्ता	उप सचिव	किसान कल्याण एवं कृषि विकास
15.	श्री बी0एस0धुर्वे	उप सचिव	किसान कल्याण एवं कृषि विकास
16.	श्री सी0आर0 वालिम्बे	उप सचिव	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
17.	श्री अरविन्द दुबे	उप सचिव	पर्यटन
18.	श्री सुशील कुमार द्विवेदी	वित्तीय सलाहकार	चिकित्सा शिक्षा
19.	श्री विश्वजीत झारिया	वित्तीय सलाहकार	किसान कल्याण एवं कृषि विकास
20.	श्री अनील माथुर	संचालक	जन सम्पर्क
21.	श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ	संयुक्त संचालक	मण्डी बोर्ड

क्र.	नाम	पदनाम	विभाग / बैंक का नाम
22.	श्री एच0एस0वाघेला	उपायुक्त	सहकारिता
23.	श्री अजय व्यास	महाप्रबंधक, सी0बी0आई0	मिशन संयोजक
24.	डॉ0 व्ही0 के0 शुक्ला	उप अंचल प्रमुख	बैंक ऑफ बड़ौदा
25.	श्री आर0जी0 मिश्रा	सहायक महाप्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
26.	श्री बी0एस0 राजपूत	मुख्य प्रबंधक	बैंक ऑफ इण्डिया
27.	श्री राहुल आनन्द	मुख्य प्रबंधक	पंजाब नेशनल बैंक
28.	श्री अम्बर जोशी	मुख्य प्रबंधक	बैंक ऑफ बड़ौदा
29.	श्री सौरभ भटनागर	मुख्य प्रबंधक	इलाहाबाद बैंक
30.	श्री विजय माखीजानी	मुख्य प्रबंधक	आईसीआईसीआई बैंक
31.	श्री राघवेन्द्र शुक्ला	वरिष्ठ प्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
32.	श्री राजगोपाल के0 अय्यंगार	वरिष्ठ प्रबंधक	बैंक ऑफ इण्डिया
33.	श्री नवीन प्रधान	अंचल प्रबंधक	आईसीआईसीआई बैंक
34.	श्री बेनी जोसेफ	प्रबंधक	इलाहाबाद बैंक
35.	श्री सतीश गुप्ता	संयुक्त संचालक	संस्थागत वित्त